

कार्यालय जिला कलक्टर अलवर जिला अलवर

क्रमांक - प0 12-1() (डायवर्जन) राज/17/ 2442

दिनांक - 19.04.2017

अधीक्षण अभियंता,
जन स्वा0 अभि0 विभाग,
अलवर।

EE (m02)

विषय - पेयजल टंकी निर्माण हेतु जलदाय विभाग कठूमर के द्वारा तहसील कठूमर के ग्राम सोखरी में वन भूमि के डायवर्जन हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत के क्रम में।

संदर्भ - उपखण्ड अधिकारी कठूमर का पत्रांक 1997 दिनांक 20.02.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कठूमर ने पेयजल टंकी निर्माण हेतु ग्राम सोखरी में वन भूमि के डायवर्जन हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाने के संबंध में प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित कर निवेदन किया है।

अतः उक्त संबंध में दिनांक 18.04.2017 को आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण, प्रकरण में जारी वन अधिकार प्रमाण पत्र तथा उपखण्ड अधिकारी कठूमर से प्राप्त मूल प्रस्ताव की प्रति संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न:- यथोपरि।

जिला कलक्टर
अलवर

क्रमांक - प0 12-1() (डायवर्जन) राज/17/

प्रतिलिपि:- अधिशाषी अभियंता, जन स्वा0 अभि0 विभाग, राजगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक -

No! - SPL-1 Date! - 25/4/17

Copy to E.E. Rajgash for
intimation & Compliance.

अधीक्षण अभियंता
जन स्वा. अभि. विभाग
अलवर (राज.)

11
जिला कलक्टर
अलवर

SA
अधिशाषी अभियंता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
खण्ड राजगढ़ कोड स. 10743

FORM-1

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR ALWAR, RAJASTHAN

(for linear projects)

Date. 19.04.2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98/FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, It is certified that **0.05 Hectares** of forest land proposed to be diverted to **PHED Department for water tank construction** in **Alwar District** falls within jurisdiction of **village Sonkhari tehsil Kathumar**.

It is certified that:-

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.05 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Right Committee(s) Gram Sabha(S), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure – I to Annexure – III.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As Above


(Muktanand Agrawal)
District Collector, Alwar

PCA:
अधिकाारी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियंत्रक विभाग
खण्ड राजगढ़ कोड स. 10/43

वन भूमि का डायवर्जन हेतु जलदाय विभाग कठुमर के ग्राम साखरी म वन भूमि के डायवर्जन हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 18.04.2017 का कार्यवृत्त।

पेयजल टंकी निर्माण हेतु जलदाय विभाग द्वारा तहसील कठुमर के ग्राम साखरी खसरा नम्बर 2578 रकबा 0.05है० संरक्षित वन भूमि का डायवर्जन प्रस्तावित है। उक्त भूमि में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के दावों के निस्तारण हेतु जिला कलक्टर द्वारा उपखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया था जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 18.04.2017 को आहूत हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया।

1. जिला कलक्टर, अलवर।
2. उप वन संरक्षक, अलवर।
3. अधीक्षण अभियंता, जन स्वा० अभि० विभाग, अलवर।
4. अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर।
5. उपखण्ड अधिकारी, कठुमर।

उक्त प्रकरण में जो उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 08.12.2016 को आहूत हुई थी उसमें उपस्थित सदस्यों के ग्राम साखरी द्वारा पारित प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 02.12.2016 को स्वीकृति प्रदान करते हुए इसे जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान की गई।

तथ्यों से यह स्पष्ट है कि ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर कोई आपत्ति उपखण्ड स्तरीय समिति को प्राप्त नहीं हुई एवं इस प्रकार ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव से कोई भी व्यक्ति क्षुब्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में जिला स्तरीय समिति के समक्ष 60 दिनों तक उपखण्ड स्तरीय समिति के निर्णय के विरुद्ध कोई भी आपत्ति प्राप्त होने की सम्भावना शून्य है। अतः ऐसी स्थिति में जिला स्तरीय समिति ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 02.12.2016 से सहमत हैं एवं जिला कलक्टर कार्यालय से वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति प्रदान करती हैं।

उप वन संरक्षक
अलवर
अधीक्षण अभियंता
जन०स्वा०अभि० विभाग
अलवर

अति०मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, अलवर

उपखण्ड अधिकारी
कठुमर

जिला कलक्टर
अलवर

PCA

अधीक्षकी अधिन्यता
अधीक्षकी अभियंत्रिक विभाग
वन स्वास्थ्य अभियंत्रिक कोड सं. 10743

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कठूमर जिला अलवर

क्रमांक:- 1997

दिनांक:- 01/12/16

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,
अलवर।

27047
21/12/16

2796
23/12/16

विशय:- पेयजल टंकी निर्माण हेतु जलदाय विभाग कठूमर के द्वारा तहसील कठूमर के ग्राम सोंखरी में वन भूमि के डायवर्जन हेतु वन अधिनियम 2006 के तहसील स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 8/12/16 का कार्यवृत्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के क्रम में।

21.12.16 उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सोंखरी में दिनांक 2.12.16 को एवं ग्राम में दिनांक 2.12.16 को ग्राम सभाओं द्वारा चयनित कमेटियों की मिटिंग कराई गई जिसमें सभी कमेटियों पर पेयजल स्कीम निर्माण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की है, सर्वसम्मति से पारित किये हैं।

ग्राम कमेटियों के प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद दिनांक 8/12/16 को तहसील स्तरीय कमेटी की मिटिंग बुलाई गई सभी सदस्यों ने परियोजना के निर्माण के लिए सहमति प्रदान की है। अतः ग्राम कमेटियों से प्राप्त प्रस्ताव ग्राम स्तरीय कमेटी द्वारा पारित प्रस्ताव संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि:- श्रीमान अधिशासी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग खण्ड राजगढ़ को सूचनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
खण्ड राजगढ़ कोड सं. 101

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

पेयजल टंकी निर्माण हेतु जलदाय विभाग द्वारा जनपद अलवर तहसील कठूमर
ग्राम सोंखरी वन क्षेत्र सोंखरी स्थित वन भूमि के डायवर्जन हेतु वनाधिकारी
अधिनियम 2006 के अन्तर्गत तहसील स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 8/12/16....
का कार्यवृत्त।

पेयजल टंकी निर्माण हेतु जलदाय विभाग द्वारा जनपद अलवर तहसील कठूमर ग्राम सोंखरी स्थित (खसरा नम्बर...21...28 रकबा 0.05 है0) सनरक्षित वन-भूमि का डायवर्जन प्रस्तावित है। उक्त प्रकरण के संबन्ध में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा तहसील स्तरीय एवं तहसील स्तरीय समिति का गठन किया गया था। उपखण्ड अधिकारी स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 8/12/16 के आहूत हुई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया—

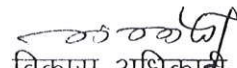
1. उपखण्ड अधिकारी कठूमर
2. प्रधान पंचायत समिति कठूमर
3. तहसीलदार कठूमर
4. विकास अधिकारी पं0 स0 कठूमर
5. रेन्जर वन विभाग लक्ष्मणगढ़

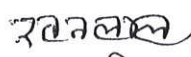
ग्राम सभा सोंखरी द्वारा दिनांक 2-12-16 को खुली बैठक करके उपरोक्त वन भूमि के डायवर्जन के प्रस्ताव को पारित किया गया है। ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। ग्राम सभा की बैठक के माध्यम से समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया गया कि वनभूमि के डायवर्जन हेतु पारित प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर में 60 दिनों के भीतर अर्थात् दिनांक 3-2-17 तक जमा करायी जा सकती है। इस संबन्ध में उपखण्ड अधिकारी कठूमर के कार्यालय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः ऐसी स्थिति में यह समिति ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुये इस उपखण्ड अधिकारी स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान करती है।


उपखण्ड अधिकारी
कठूमर

प्रधान
पं0 स0 कठूमर


तहसीलदार
कठूमर


विकास अधिकारी
पं0 स0 कठूमर


रेन्जर वन विभाग
क्षेत्रीय वन अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज0


अधिशायी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
खण्ड राजगढ़ कोड स. 16143

कार्यालय
ग्राम सभा/पंचायत
तहसील-कठूमर जिला-अलवर

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जिला अलवर ग्राम सोंखरी मे पेयजल सप्लाई हेतु टंकी के निर्माण हेतु संरक्षित वनभूमि का जलदाय विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सोंखरी अंतर्गत ग्राम सोंखरी द्वारा ग्राम सभा बैठक में पेयजल टंकी के निर्माण के लिये वन भूमि के संबन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फोरेस्ट राईट एक्ट(एफ0आर0ए) 2006 के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किराी गैर कृषि आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत सोंखरी के द्वारा जलदाय विभाग को पेयजल टंकी हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फोरेस्ट राईट एक्ट(एफ0आर0ए) 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा संरक्षित वनभूमि जलदाय विभाग कठूमर को इस पंचायत की सीमान्तगत पेयजल टंकी के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम नं. 2578/403/32-24 हेक्टेयर जमीन में मु. पहाड़ (वन विभाग)
के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज है।
हस्ताक्षर पटवारी
2.12/16

सरपंच ओमपति
ग्राम पंचायत सोंखरी
ग्राम पंचायत सोंखरी
पं. स. कठूमर (अलवर)

अधिकांशी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
खण्ड राजगढ़ कोड सा. 10743

ग्रा.स.स. 5-12-16 40 अनुमोदित

एजेण्डा

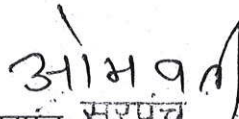
समस्त सदस्यगण ग्राम सभा सोंखरी को सूचित किया जाता है कि ग्राम सभा की एक आवयक बैठक दिनांक 5-12-16 दिन सोमवार को अटल सेवा केन्द्र ग्राम सोंखरी में प्रातः 10 बजे आहूत की गई है।
2-12-16

बैठक की अध्यक्षता ग्राम सरपंच सोंखरी करेंगे। समय से पहुँचकर बैठक को सफल बनाए।

बिचारणीय बिन्दु:-

1. जलदाय विभाग द्वारा ग्राम में पेयजल सप्लाई हेतु टैंक के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण में वन भूमि जाने पर उसमें आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य/आवासीय या अन्य कार्य हेतु कब्जा के सम्बन्ध में।


हस्ताक्षर पटवारी


सरपंच
ग्राम सोंखरी
प.स. कठूमर (अलवर)



अधिकांशी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
खण्ड राजगढ़ कोड स. 10143

मुनादी

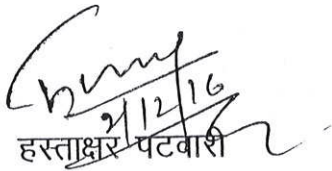
ग्राम सभा सं. 2 वरु अउ कोस

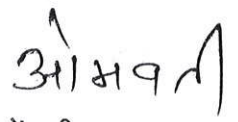
ग्राम सोंखरी के समस्त ग्रामवासियों को डुग्गी पीट-2 कर सूचित किया जाता है कि ग्राम सभा सोंखरी की एक आव यक बैठक दिनांक 5.12.16 को ग्राम सोंखरी के अटल सेवा केन्द्र में प्रातः 10.00 बजे आहुत की जानी है।
2-12-16

बैठक की अध्यक्षता ग्राम सरपंच सोंखरी करेंगे। समय से पहुँच कर बैठक को सफल बनायें।

विचरणीय बिन्दु:-

1. जलदाय विभाग द्वारा ग्राम में पेयजल सप्लाई हेतु टैंक के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण में वन भूमि जाने पर उसमें आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य/आवासीय या अन्य कार्य हेतु कब्जा के सम्बन्ध में।


हस्ताक्षर पटवारी

सरपंच 
ग्राम पंचायत सोंखरी
सरपंच
ग्राम पंचायत सोंखरी
पं स. कटूमर (अलवर)

PCA


अधिशायी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
खण्ड राजगढ़ कोड सं. 10743

जुलै 1 गत आदमी के बेटे की कलकाल को
 देकर कर चुकाया गया आदमी द्वारा
 1944 से आदमी के बेटे को
 जे.सी. 1 से संपर्क भी नहीं हो सका है।
 कराया गया लोखरी के सार्वजनिक आदमी को बुझी
 पीर-2 कर बुझा दिया जाता है।
 की एक आदमी के बेटे को 2-12-16 की आदमी को
 के आदमी सेना के 2-10-16 के बेटे की आदमी
 विचारणीय बिंदु:- 1. आदमी के आदमी को
 में लेना सार्वजनिक है।
 के बेटे को आदमी के बेटे को
 आदमी के आदमी को आदमी के बेटे को
 बिंदु बिंदु कर, सब बिंदु से गहरा
 चला दिया जाता है।

11
 आदमी
 देवी/आदमी
 शांत बेटे/बेटे
 नवीन वर
 वहीम रंज
 मुनेश
 वरुण


 विचारणीय
 बिंदु

आदमी
 बिंदु

आदमी
 आदमी

~~आदमी~~

आदमी
 आदमी

आदमी
 आदमी

आदमी
 आदमी
 आदमी

PCA
 बिंदु
 अधिशासी अभियन्ता
 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
 खण्ड राजगढ़ कोड स. 10743